

संचालनालय पशुपालन एवं डेयरी विभाग कामधेनू भवन वैशालीनगर भोपाल

कमांक 10580/स्था-ब/स.प.चि.क्षे.अ.भर्ती/2021/

भोपाल, दिनांक : 25/11/2021

//आदेश//

मध्यप्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा चयनित निम्नलिखित उम्मीदवारों को सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों के पद पर मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम-2107 के वेतन मेट्रिक्स परिशिष्ट-1 के लेवल 6 के वेतनमान रूपये 25300-80500 /- मे प्रारंभिक वेतन 25300/- (छटवां वेतनमान वेतन बैंड रु. 5200-20200+2400 ग्रेड पे) में अस्थाई रूप से 3वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के समक्ष कालम (7) में उल्लेखित स्थान पर निम्न सेवा शर्तों के अधीन पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	नाम	पिता का नाम	ग्रह जिला	चयन की श्रेणी	वर्ग	पदस्थापना स्थान
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री प्रकाश पाटीदार	श्री राधेश्याम पाटीदार	खरगौन	अनारक्षित ओपन	अन्य पिछडा वर्ग	गौ अभ्यारण अनुसंधान एवं उत्पादन केन्द्र सालरिया ,जिला आगर मालवा
2	योगिता यादव	श्री पुरुषोत्तम यादव	बडवानी	अनारक्षित ओपन	अन्य पिछडा वर्ग	पशु चिकित्सालय शाहगंज ,जिला सिहोर
3	श्री अंजुल वर्मा	छगन वर्मा	राजगढ	अ.पि.वर्ग ओपन	अन्य पिछडा वर्ग	पशु चिकित्सालय कालापीपल , जिला शाजापुर
4	श्री अखिलेश साहू	श्री संजीव साहू	शिवपुरी	अ.पि.वर्ग ओपन	अन्य पिछडा वर्ग	पशु चिकित्सालय बडोनी ,जिला दतिया
5	रानी सेन	रामस्वरूप सेन	छतरपुर	अन्य.पि.वर्ग महिला	अन्य पिछडा वर्ग	पशु चिकित्सालय हस्तिनापुर , जिला ग्वालियर

सेवा शर्तें

1. आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर अपना उपस्थिति प्रतिवेदन संबंधित संयुक्त/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अन्यथा यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
2. नियुक्त किये गये उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिले के मेडीकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया जावेगा।
3. मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन कमांक एफ-9/3/03/नियम/4 दिनांक 13/4/2005 एवं प्रमुख सचिव वित्त का अर्द्ध शासकीय पत्र कमांक एफ-9/3/03/नियम /4 दिनांक 2.7.2005 के अनुसार राज्यशासन के अधीन 1.1.2005 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू की जाना है, का पालन किया जाय।



-- जिरैटर -- 2